

निर्णय व इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या 203/2020 (धारा 14 सेक्योरिटाईजेशन)  
मेन्टोर होम लोन्स इण्डिया लि० (पूर्व में मेन्टोर इण्डिया लि०) पता प्रधान कार्यालय मेन्टोर हाऊस,  
गोविन्द मार्ग, सेती कालोनी, जयपुर ।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम


1. श्री प्रहलाद जाट पुत्र श्री हनुमान जाट
2. श्रीमती मनभर देवी पत्नि श्री प्रहलाद जाट
3. श्री शिव कुमार जाट पुत्र श्री हनुमान जाट
4. श्री हनुमान जाट पुत्र श्री भूराराम जाट

निवासीगण:-वार्ड नम्बर 08, ग्राम रेटा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।

5. श्री हरिराम गौरा पुत्र श्री रामरख गौरा

निवासी:-प्लॉट नम्बर 50, जाटो का मौहल्ला, नया गाँव, पड़ासौली, तहसील दुदू, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण  
ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थित:-

1. श्री सूरज शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।
2. श्री हरफूल खीची अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।


आदेश

दिनांक: 18.01.2021

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 28.10.2016 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री हनुमान जाट पुत्र श्री भूराराम जाट के स्वामित्व की सम्पत्ति दुकान नम्बर 7, (क्षेत्रफल 33.33 वर्गगज) 8. (क्षेत्रफल 33.33 वर्गगज) 9 (क्षेत्रफल 33.33 वर्गगज) व प्लॉट नम्बर ए-3 (क्षेत्रफल 200 वर्गगज), शिव विहार, ग्राम पड़ासौली, तहसील मौजमाबाद (दूदू), जिला जयपुर को बन्धक रखकर 15,00,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 02.09.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इम्बदाद उपलब्ध कराने की अनुरोध की है।

तल  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज किया गया। न्याय हित में अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री हरफूल खींची ने वकालतनामा पेश किया।
3. वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. अप्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक ने बकाया ऋण राशि जमा कराने हेतु अवसर चाहा है। प्रार्थी वित्तीय संस्था को बंधक सम्पत्ति का भौतिक कब्जा क्यों नहीं दिलाया जाये इस बाबत कोई उचित कारण नहीं बताया। सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का 30 दिवस या अधिकतम 60 दिवस में निस्तारण किये जाने के प्रावधान है, इसलिए और अधिक समय दिया जाना उचित नहीं है।
5. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 को क्रम संख्या 21 पर सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को 15,00,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 15,08,496/-रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 02.09.2019 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था को बंधक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकार है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
7. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री हनुमान जाट पुत्र श्री भूराराम जाट के स्वामित्व की सम्पत्ति दुकान नम्बर 7, (क्षेत्रफल 33.33 वर्गगज) 8, (क्षेत्रफल 33.33 वर्गगज) 9 (क्षेत्रफल 33.33 वर्गगज) व प्लॉट नम्बर ए-3 (क्षेत्रफल 200 वर्गगज), शिव विहार, ग्राम पड़ासौली, तहसील मोजमाबाद (दूदु), जिला जयपुर का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने आदेश दिये जाते हैं।
8. आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) जयपुर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।



आदेश दिनांक 18.01.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

18/1/21  
 (अन्तर विद्वेषक)  
 जिला न्यायालय  
 (कलक्टर) जयपुर